न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–01/40/2020 जीसीएमएस संः– 2020/00115 दर्ज तिथिः– 15.06.2020

1. माना पुत्र भूरा
2. बोदूराम पुत्र भूरा

समस्त जातियान रैगर निवासी पचपड़ी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. ऑची पुत्री रामनाथ
3. गुल्ली पुत्री रामनाथ
4. जगदीश पुत्र रामनाथ
5. नाथी पत्नी लक्ष्मीनारायण
6. बदामी पुत्री रामनाथ
7. भगोती पुत्री रामनाथ
8. भैरूराम पुत्र चन्दाराम
9. भोली पुत्री रामनाथ
10. मूलीदेवी पत्नी चन्दाराम
11. रूडाराम पुत्र चन्दाराम
12. रामजीलाल पुत्र चन्दाराम
13. हरलाल पुत्र चन्दाराम
14. नारायणी पत्नी श्रवण
15. हरीराम पुत्र श्रवण
16. विजयपाल पुत्र श्रवण
17. रतन पुत्र श्रवण
18. हंसराज पुत्र श्रवण
19. किशनी पुत्री श्रवण
20. प्रेम पुत्री श्रवण
21. सुगना पुत्री श्रवण
22. रामेश्वर पुत्र भूरा

समस्त जातियान रैगर निवासी पचपड़ी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल प्रतिवादीगण

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–
वादीः– श्री मनीष जैन।
प्रतिवादीः–अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:– 09.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 1.21 है0 वाकै ग्राम पचपड़ी तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा व असल प्रतिवादीगण का हिस्सा 2/3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 15 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा बार–बार जबाव हेतु मौका दिये जाने पर जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में जवाब बन्द किया जाने की स्थिति में प्रकरण में तनकी की आवश्यकता नहीं है। दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार प्रतापगढ से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/801 दिनांक 19.05.2025 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 1.21 है0 वाकै ग्राम पचपड़ी तहसील प्रतापगढ जिला अलवर के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादी की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

4. प्रकरण में तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः स्थाई निषेधाज्ञा के विश्लेषण में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज़ राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा–81 रकबा 1.21 है0 वाकै ग्राम पचपड़ी तहसील प्रतापगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार प्रतापगढ को दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज.

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
बोदूराम पुत्र भूरा हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार	81/2	0.13 है0	बा0 तृतीय	0.52
	81/4	0.06 है0	बा0 तृतीय	0.24
कुल किता 02		0.19 है0		0.76
माना पुत्र भूरा हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण अ0स0भू0 वि0 बैंक लि0 शाखा थानागाजी	81/7	0.08 है0	बा0 तृतीय	0.32
	81/10	0.10 है0	बा0 तृतीय	0.40
कुल किता 02		0.18 है0		0.72
कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 3/32 राहिन हिस्सा 3/32 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा प्रतापगढ, जगदीश पुत्र रामनाथ हि0 3/32, आंची, गुल्ली, बदामी, भगोती, भोली पुत्रियान रामनाथ स0 भाग हि0 5/96, नाथी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि0 1/96 समस्त कौम रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, भैरूराम, रूडाराम, रामजीलाल, हरलाल पुत्रान चन्दाराम हि0 समान भाग 1/5, मूली पत्नी चन्दाराम हि0 1/20 समस्त जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, रामरतन, हंसराज, हरिराम, विजयलाल पुत्रान श्रवण सम भाग हि0 1/8, नाथी, प्रेम, सुगना पुत्रियान श्रवण स0 भाग हिस्सा 3/32, नारायणी पत्नी श्रवण हिस्सा 1/32 समस्त जातियान रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/4 जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार	81/1	0.18 है0	बा0 तृतीय	0.72
	81/3	0.12 है0	बा0 तृतीय	0.48
	81/5	0.12 है0	बा0 तृतीय	0.48
	81/8	0.09 है0	बा0 तृतीय	0.36
	81/9	0.18 है0	बा0 तृतीय	0.72
	81/11	0.05 है0	बा0 तृतीय	0.20
कुल किता 06		0.74 है0		2.96
बोदूराम पुत्र भूरा हिस्सा 1/6, माना पुत्र भूरा हिस्सा 1/6 राहिन अ0स0भू0 वि0 बैंक लि0 शाखा थानागाजी, कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/16 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा प्रतापगढ, जगदीश पुत्र रामनाथ हि0 1/16, आंची, गुल्ली, बदामी, भगोती, भोली पुत्रियान रामनाथ स0 भाग हि0 5/144, नाथी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि0 1/144 समस्त कौम रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, भैरूराम, रूडाराम, रामजीलाल, हरलाल पुत्रान चन्दाराम हि0 समान भाग 4/30, मूली पत्नी चन्दाराम हि0 1/30 समस्त जातियान रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, रामेश्वर पुत्र भूरा जाति रैगर हि0 1/6 सा0 माधोगढ खातेदार	81/6	0.10 है0	बा0 तृतीय (प्रस्तावित रास्ता)	0.40
कुल किता 01		0.10 है0	बा0 तृतीय	0.40

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले। नक्शा कुर्रेजात निर्णय के अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.06.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पिंकी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर ए एस.)

वाद संख्याः–01/40/2020 जीसीएमएस संः– 2020/00115 दर्ज तिथिः– 15.06.2020

1. माना पुत्र भूरा
2. बोदूराम पुत्र भूरा
   समस्त जातियान रैगर निवासी पचपड़ी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. ऑची पुत्री रामनाथ
3. गुल्ली पुत्री रामनाथ
4. जगदीश पुत्र रामनाथ
5. नाथी पत्नी लक्ष्मीनारायण
6. बदामी पुत्री रामनाथ
7. भगोती पुत्री रामनाथ
8. भैरूराम पुत्र चन्दाराम
9. भोली पुत्री रामनाथ
10. मूलीदेवी पत्नी चन्दाराम
11. रूडाराम पुत्र चन्दाराम
12. रामजीलाल पुत्र चन्दाराम
13. हरलाल पुत्र चन्दाराम
14. नारायणी पत्नी श्रवण
15. हरीराम पुत्र श्रवण
16. विजयपाल पुत्र श्रवण
17. रतन पुत्र श्रवण
18. हंसराज पुत्र श्रवण
19. किशनी पुत्री श्रवण
20. प्रेम पुत्री श्रवण
21. सुगना पुत्री श्रवण
22. रामेश्वर पुत्र भूरा
    समस्त जातियान रैगर निवासी पचपड़ी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल प्रतिवादीगण

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–
वादीः– श्री मनीष जैन।
प्रतिवादीः–अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) रा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा 81 रकबा 1.21 है0 वाकै ग्राम पचपड़ी तहसील प्रतापगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार प्रतापगढ को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
बोदूराम पुत्र भूरा हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार	81/2	0.13 है0	बा0 तृतीय	0.52
	81/4	0.06 है0	बा0 तृतीय	0.24
कुल किता 02		0.19 है0		0.76
माना पुत्र भूरा हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण अ0स0भू0 वि0 बैंक लि0 शाखा थानागाजी	81/7	0.08 है0	बा0 तृतीय	0.32
	81/10	0.10 है0	बा0 तृतीय	0.40
कुल किता 02		0.18 है0		0.72
कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 3/32 राहिन हिस्सा 3/32 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा प्रतापगढ, जगदीश पुत्र रामनाथ हि0 3/32, आंची, गुल्ली, बदामी, भगोती, भोली पुत्रियान रामनाथ स0 भाग हि0 5/96, नाथी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि0 1/96 समस्त कौम रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, भैरूराम, रूडाराम, रामजीलाल, हरलाल पुत्रान चन्दाराम हि0 समान भाग 1/5, मूली पत्नी चन्दाराम हि0 1/20 समस्त जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, रामरतन, हंसराज, हरिराम, विजयलाल पुत्रान श्रवण सम भाग हि0 1/8, नाथी, प्रेम, सुगना पुत्रियान श्रवण स0 भाग हिस्सा 3/32, नारायणी पत्नी श्रवण हिस्सा 1/32 समस्त जातियान रैगर सा0 माधोगढ खातेदार, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/4 जाति रैगर सा0 माधोगढ खातेदार	81/1	0.18 है0	बा0 तृतीय	0.72
	81/3	0.12 है0	बा0 तृतीय	0.48
	81/5	0.12 है0	बा0 तृतीय	0.48
	81/8	0.09 है0	बा0 तृतीय	0.36
	81/9	0.18 है0	बा0 तृतीय	0.72
	81/11	0.05 है0	बा0 तृतीय	0.20
कुल किता 06		0.74 है0		2.96

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) र